सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला – अजमेर (राज.)

राजस्व वाद संख्या – 1459 / 2017

पीठासीन अधिकारीः– श्री नीरज कुमार मीना (आर.ए.एस.)

1. कमला पत्नि हरिराम
2. इन्द्रा पुत्री हरिराम
3. मंजू पुत्री हरिराम
4. मनोज पुत्री हरिराम
5. पवन पुत्र हरिराम

तमाम जाति कुर्मी निवासी कादेडा तहसील केकडी जिला अजमेर

वादीगण

बनाम

1. प्रेम देवी पत्नि रामसहाय
2. ब्रम्हदत्त पुत्र रामसहाय
3. राज. सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान

प्रतिवादीगण

4. प्रबोध पुत्र चन्द्रप्रकाश जाति ब्राम्हण निवासी कादेडा तहसील केकडी जिला अजमेर
5. चन्द्रसेन पुत्र देवीलाल जाति कीर निवासी कादेडा तहसील केकडी जिला अजमेर

प्रफॉर्मा प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53,188,राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः–28.05.2018

पत्रावली आज केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार केम्प कादेडा में पेश हुई। वादी/प्रतिवादीगण उपस्थित। उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है।

वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 53,188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि वादी की वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम कादेडा तहसील केकडी जिला अजमेर की जमाबन्दी स. 2069–72 के खाता स. 489 के खसरा नम्बर 778,812,829,830 कुल किता 4 कुल रकबा 3.51 है. खाता स. 482 के खसरानम्बर 2269,2270,2271,2272 कुल किता 4 कुल रकबा 0.72 हे. ,खाता स. 255 के खसरा नम्बर 804 कुल रकबा 1.51 है. जर्ये नामा.2597 दिनांक 7.6.16 के अनुसार दर्ज खातेदार है। खाता स. 489में वादीगण का 1/2 तथा प्रतिवादी स. 1लगायत 2 का 1/2हिस्सा है, खातास. 482 में वादीगण 1/4 हिस्सा व प्रतिवादीस. 1 व 2 का 1/4 हिस्सा तथा प्रफॉर्मा प्रतिवादी स. 4 का 1/2 हिस्सा है, खाता स. 255 में वर्णित आराजीयात में वादीगण का 1/4 हिस्सा , प्रतिवादी स. 1व 2 का 1/4 एवं प्रफार्मा प्रतिवादी स. 5 का 1/2 हि.नियत है। वादीगण प्रतिवादीगण प्रफॉर्मा प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से पर काबिज है। वादग्रस्त आराजीयात में वादीगण एंव प्रतिवादीगण स. 1 लगायत 2 व प्रफॉर्मा प्रतिवादीस. 4व 5 का वाद वर्णित हिस्से अनुसार सयुक्त कब्जे काश्त है। वादीगण की वादग्रस्त आराजीयात में प्रतिवादीस. 1 व 2 सयुक्त कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न करते है, लडाई झगडा ,ऐलानिया धमकी इत्यादि देते है। वादीगण को वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण स. 1 व 2 को कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न न करने हेतु ,उपयोग उपभोग , बेचान,बक्षीस इत्यादि न करने हेतु जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावें।वादी का वाद स्वीकार फरमाया जावें।

हमने वादी का दावा दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी स. 2 की बावजूद स्वयं की तामिल के अनुपस्थित । प्रतिवादी स. 2 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई । पत्रावली आज केम्प कोर्ट कादेडा में पेश हुई । वादी/प्रतिवादी उप.।

हमने दस्तावेजों का अवलोकन किया। वादग्रस्त आराजी का बंटवारा किये जाने हेतु वादीगण की खातेदारी आराजीयात होने वादपत्र का संतुलन वादी के पक्ष में है तथा वादी का वाद प्रेमाफेसाई होना जाहिर होता है।

अतः वादी का दावा स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि ग्राम कादेडा तहसील केकडी जिला अजमेर की जमाबन्दी स. 2069–72 के खाता स. 489 के खसरा नम्बर 778,812,829,830 कुल किता 4 कुल रकबा 3.51 है. खाता स. 482 के खसरानम्बर 2269,2270,2271,2272 कुल किता 4 कुल रकबा 0.72 हे. ,खाता स. 255 के खसरा नम्बर 804 कुल रकबा 1.51 है. जर्ये नामा. 2597 दिनांक 7.6.16 के अनुसार भूमि का मुताबिक जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार बंटवारा किये जाने हेतु वादी का दावा डिक्री किया जाता है साथ ही प्रतिवादीगण स. 1 व 2 को कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न न करने हेतु ,उपयोग उपभोग , बेचान,बक्षीस इत्यादि न करने हेतु जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। तहसीलदार केकड़ी को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजी का मुताबिक जमाबन्दी में दर्ज हिस्से एवं कब्जे अनुसार बंटवारा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा, ट्रेस के तैयार कर न्यायालय हाजा में पेश करें।

निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व मजमे आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी